दिनांक - 22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गाँव पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 02 गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिंदा गोवंश, 02 तमंचे, 02 खोखा/04 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल एवं गौकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहेड़ा के जंगलों में कुछ व्यक्ति गोकशी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बड़गाँव पुलिस टीम के साथ ग्राम बहेड़ा के जंगलों में पहुँचे तो वहाँ पर एक जिंदा गोवंश पेड़ से बँधा दिखाई दिया। पुलिस को नजदीक आते देख गौकशी करने आये व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर पेड़ के पीछे छुपकर अचानक पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके भागने लगे। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल बदमाशों की पहचान **1- शौकीन पुत्र ताजीम निवासी अम्बहेटा शेख थाना देवबंद जनपद सहारनपुर व 2- शहजाद उर्फ काला पुत्र तौफीक निवासी कुटेसरा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर** के रुप मे हुई। दोनो घायल बदमाशों को दिनांक 21.01.2025 को बहेडा रतनहेडी काली नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 जिंदा गोवंश, 02 तमंचे, 02 खोखा/04 जिंदा कारतूस 315 बोर, गोकशी करने के उपकरण व 01 मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस यूपी-12बीजे-4106 बरामद। दोनो घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 109/3(5)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम के पंजीकृत किया गया। पूर्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत गौकशी के 02 मुकदमों (मु0अ0सं0 06/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम) में अभियुक्तो व इनके साथियों का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय में मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछने पर एक साथ बताया कि हम व हमारे 03 अन्य साथियों ने मिलकर करीब 4 दिन व करीब 7 दिन पहले ग्राम नन्हैडा कला के जंगल में कई गौकशी की घटनाए की थी। जिसका मांस हम अलग अलग स्थानो पर जाकर बेच देते थे। इस काम में अच्छी कमाई है। गौवंश के सिर व अन्य अवशेषों को काली नदी में डालकर बहा देते थे। हम लोग जगह बदल बदल कर गौवंशी की घटनाएं करते है। हम लोग आवारा घूमते पशुओ को पकड़कर जंगल में एकान्त स्थान पर ले जाकर गौकशी की घटनाओं को अंजाम देते है। आज भी हम दोनो जंगल में एकान्त स्थान की तलाश कर गौकशी करने की फिराक में थे कि पुलिस टीम हम लोगो घेर लिया और हम लोगो ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1- शौकीन पुत्र ताजीम निवासी अम्बहेटा शेख थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

2- शहजाद उर्फ काला पुत्र तौफीक निवासी कुटेसरा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण

- 02 तमंचे .315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस/02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिन्दा गोवंश
- 01 मोटर साईकिल स्पेलेन्डर प्लस
- गोकशी के उपकरण

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1- थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6- कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
7- कां0 604 आदेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी/बिक्री की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.01.2025 को चैकिग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **पंकज पुत्र रुपचंन्द्र निवासी मौहल्ला नया बस बड जिलाउलहक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सन्तबिहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 20 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 24/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पंकज पुत्र श्री रुपचंन्द्र निवासी मौहल्ला नया बस बड जिलाउलहक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 20 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 794 अरुण सोलंकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक- 22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तंमचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 21.01.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त वाहिद पुत्र भूरा उर्फ घुतू निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम गन्देवडा बिजली घर के पास वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद तंमचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पुछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि यह तंमचा मैने शौकिया तौर पर एक ट्रक ड्राइवर से खरीदा था। जिसका नाम पता मै नही जानता हूँ। मैने तमंचे के साथ अपना फोटो डीपी पर लगा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

वाहिद पुत्र भूरा उर्फ घुतू निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 अदद तंमचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1- उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना फतेहपुर सहारनपुर
3- है0का0 796 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4- है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
5- का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक 22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सीलिंग फैन, 01 पैट्रोमैक्स एवं 1450/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2024 को वादी श्री सिद्दार्थ सोढी पुत्र स्व0 श्री विजय सोढी निवासी 9ए, भगत सिंह कालोनी पुलिस लाइन गेट के सामने सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान (कैपिटल गलास हाऊस तिब्बती मार्किट नेहरु मार्किट की छत पर लोहे की टीन को फाडकर काऊटर के गल्ले का ताला तोडकर उसमे रखे 20,000 से 25,000 रुपये व 01 मोबाइल फोन व डीवीआर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 230/24 धारा 305(A)/331(4) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.12.2024 को वादिया श्रीमती अनुराधा मिश्रा (विपणन निरीक्षक) पत्नी श्री हिमांशू कुमार श्रीवास्तव निवासी बेहट रोड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 02/03.12.2024 की रात्रि में बेहट रोड स्थित खाद्द एवं रसद विभाग के कार्यालय का ताला तोडकर अन्दर रखे सामान (सीलिंग फैन , कंबल , गद्दा , दो प्रेट्रोमैक्स सिलेण्डर) चोरी कर लेने जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 293/24 धारा 305(A)/331(4) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व नकबजन/शातिर/वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **01 शातिर चोर/अभियुक्त बिलाल पुत्र अनवर निवासी गुलदस्ता कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को बेहट अडडे से जाने वाले रास्ते पर सिद्ध प्राचीन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद सीलिंग फैन व एक अदद पैट्रोमैक्स व 1450/- रुपये नगद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । **अभियुक्त बिलाल उपरोक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय एसीजेएम-3 सहारनपुर द्वारा वाद सं0-3302/24,अ0सं0-251/19 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट मे भी गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया है**। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्थ अपराधी है जिस पर जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानो पर लगभग डेढ दर्जन मुकदमें दर्ज है। **अभियुक्त बिलाल थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है**। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त बिलाल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ तथा छोटी मोटी चोरियां करके अपने नशे की जरूरतों को पूरा कर लेता हूँ। मैने कुछ समय पहले चकरोता रोड स्थित खाद्य केन्द्र से दो पैट्रमैक्स, एक सीलिंग फैन, एक कम्बल व एक गद्दा चोरी किया था जिनमे से एक पैट्रोमैक्स एक कम्बल व एक गद्दा मैने पहले

चलते फिरते कबाडी को बेच दिये थे तथा उससे पहले पिछले साल भी मैने नेहरू मार्केट में एक दुकान में चोरी की थी। आज इन दोनो सामानो को बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बिलाल पुत्र अनवर निवासी गुलदस्ता कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उम्र 40 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद सीलिंग फैन व एक अदद पैट्रोमैक्स (सम्बन्धित मु0अ0सं0--293/24 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस)
- 1450/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0स0- 230/24 धारा - 305(A)/331(4) बीएनएस)

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 301/07 धारा 25 आर्मस एक्ट एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 195/09 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 560/10 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 40/12 धारा 3 यू.पी. गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 334/13 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 68/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 253/17 धारा 4/25 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 159/18 धारा 356 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 206/18 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 774/18 धारा 323,504,506 भादवि थाना कोतवाली मंडी, सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 36/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 250/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
13. मु0अ0सं0- 251/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
14. मु0अ0सं0- 49/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
15. मु0अ0सं0- 143/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
16. मु0अ0सं0- 88/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
17. मु0अ0सं0- 230/24 धारा 305(A)/331(4) थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
18. मु0अ0सं0- 293/24 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर,सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 नरेश सिह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
5. का01354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
6. का0 2253 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को रिमाण्ड (पीसीआर) पर लेकर उनकी निशादेही से लूट का माल (5330/- रूपये नकद व 01 एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन, 03 कम्बल) व घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे, 02 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.12.2024 को वादी शुभ्रांशु जैन पुत्र अखिलेश जैन निवासी मैन बाजार अम्बेहटा थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत 3-4 बदमाश नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की दुकान साइबर कैफे पर आकर तमंचा दिखाकर धमकी देते हुए गल्ले मे रखे हुए एक से डेढ लाख रुपये व दो फोन एप्पल एक फोन रेडमी के लूट के ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 441/24 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्तगण 1. निखिल, 2. शाहवेज, 3. बिन्नी उर्फ विनेश, 4. जुनैद, 5. इस्तकार, 6. हिमांशु, 7. अभिषेक व 8. गुरप्रीत के नाम प्रकाश में आये। विवेचनात्मक कार्यवाही से उपरोक्त मुकदमें में धारा 309(4) बीएनएस का विलोपन कर धारा 310(2)/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। वर्तमान में सभी अभियुक्त जिला करागार सहारनपुर में निरूद्ध है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना मे प्रयुक्त असलाह/कारतूस व लूटे गये माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे **आज दिनांक 22.01.25 को मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. बिन्नी उर्फ विनेश पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व 2. शाहवेज पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को पीसीआर पर लेकर अभियुक्तो की निशादेही पर लूटे गये माल (5330/- रूपये, 01 एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन) व घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे व 02 खोखा /02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व मोटरसाइकिल को ग्राम कपूरी के जंगल से बरामद किया गया। अभियुक्त का बाद कराकर मेडिकल पीसीआर की समयावधी के अन्दर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

रिमाण्ड पर लिए गये अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. बिन्नी उर्फ विनेश पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. शाहवेज पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त बिन्नी उर्फ विनेश का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 333/16 धारा 394, 411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुरच
2. मु0अ0सं0 426/21 धारा 380 भादवि थाना गंगोह स0पुर
3. मु0अ0सं0 445/21 धारा 414, 465 भादवि व 22, 29, 60, 8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह स0पुर,
4. मु0अ0सं0 484/21 धारा 419,420 भादवि थाना गंगोह स0पुर,
5. मु0अ0सं0 118/22 धारा 307,394 भादवि थाना नकुड स0पुर ,

6. मु0अ0सं0 57/22 धारा 392, 411 भादवि थाना आदर्श मण्डी जिला शामली,
7. मु0अ0सं0 132/22 धारा 392, 411 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
8. मु0अ0सं0 135/22 धारा 392, 411 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
9. मु0अ0सं0 138/22 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
10. मु0अ0सं0 140/22 धारा 3,25,27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
11. मु0अ0सं0 272/16 धारा 398, 401 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
12. मु0अ0सं0 275/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर,
13. मु0अ0सं0 123/22 धारा 394, 411 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर,
14. मु0अ0सं0 193/2016 धारा 342, 392, 411 भादवि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर,
15. मु0अ0सं0 740/21 धारा 392, 411 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर,
16. मु0अ0सं0 47/22 धारा 394 भादवि थाना नागल जिला सहारनपुर,
17. मु0अ0सं0 48/22 धारा 392, 411 थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर,
18. मु0अ0सं0 120/22 धारा 392, 411 थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ,
19. मु0अ0सं0 445/24 धारा 109, 3(5), 317(5) बीएनएस व 3,25,27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर

अभियुक्त शाहवेज का अपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0सं0 426/21 धारा 380 भादवि थाना गंगोह स0पुर
2. मु0अ0सं0 445/24 धारा 109,3(5),317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़, स0पुर
3. मु0अ0सं0 225/21 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता स0पुर
4. मु0अ0सं0 185/22 धारा 392/411 भादवि थाना बड़गांव स0पुर

बरामदगी का विवरण-

- 5330/- रूपये (लूटे गये)
- 01 एप्पल कम्पनी का फोन
- 02 अदद तमंचे 315 बोर
- 02 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 03 कम्बल

माल की बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त विपिन पुत्र पवन निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना सरसावा सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 08/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा (माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय सहारनपुर) में ग्राम गोविन्दपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विपिन पुत्र पवन निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक –22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.01.2025 को वादी श्री अमर सिंह पुत्र पाल्लाराम निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की तहरीर बाबत अभियुक्त गण 1.इकराम पुत्र बुद्धू, 2.इमरान उर्फ सोनू पुत्र इकराम व 3.तनवीर उर्फ मोनू पुत्र इकराम निवासी गण ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी व बिजली विभाग के टीम के साथ गाली गलोज कर मारपीट करना व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 022/2025 धारा 121(1)/132/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 22.01.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में 02 वांछित अभियुक्तगण 1.इकराम पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2. इमरान उर्फ सोनू पुत्र इकराम निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को ग्राम झबीरन से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. इकराम पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. इमरान उर्फ सोनू पुत्र इकराम निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा सहारनपुर ।

दिनांकः 22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.01.2025 को उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नदीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर हिन्दु समाज के लोगो की धार्मिक भावनाओ को आहत करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 018/2025 धारा 353(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में एक्स (ट्वीटर) पर भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले वांछित **अभियुक्त नदीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ग्राम चकवाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आनन्द पाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

दिनांकः22.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा फायरिंग का घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जें से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2024 को वादी श्री गुलफाम अंसारी पुत्र अख्तर अंसारी निवासी कोल्हा बस्ती कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.शमीम चौधरी पुत्र मंजुरा 2.अमजद पुत्र मंजुरा निवासीगण गुज्जरवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नीयत से वादी पर तंमचे से गोली चलाने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 687/2024 धारा 109(1)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित **अभियुक्त शमीम पुत्र मन्जूर हसन नि0 मौ0 गुज्जरवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला गुर्जरवाडा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जें से घटना मे प्रयुक्त 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शमीम पुत्र मन्जूरहसन नि0 मौ0 गुज्जरवाडा थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमन्चा 12 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1088 रवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।